Issue 14.12.2023

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः–15/अ0प्र0–09–07/2023 7084 अ०प्र० पटना, दिनांक 14/12/23

प्रेषक,

उप सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/राज्य गुणवत्ता समन्वयक, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/सभी अग्रिम योजना अंचल, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/सभी क्षेत्रीय प्रयोगशाला, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार/सभी नोडल पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार (प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, ब्राडा/मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना/ग्रामीण पथ विकास अभिकरण)

विषयः– माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या–360/2021 में दिनांक 09.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार सरकार के सभी लोक प्राधिकारों के लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों से सम्बंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में ।

प्रसंगः– बिहार राज्य सूचना आयोग का पत्रांक सं0– 01/वि.–05/2023– 632 (बि.सू.आ.)/ पटना, दिनांक 06.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग से संबंधित पत्रों को संलग्न करते हुए कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–2(h) के तहत बिहार राज्य सूचना आयोग में लोक सूचना पदाधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारों के संबंध में विस्तृत सूचना ई–मेल के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्देश राज्य सूचना आयोग से प्राप्त हुआ है।

पत्र के साथ विहित प्रपत्र संलग्न है। जिसमें वांछित सूचना राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराना है।

इस क्रम में आप सभी को निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना बिहार सूचना अयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये विहित प्रपत्र में तीन दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय जिसे समेकित रूप से बिहार सूचना आयोग को ससमय उपलब्ध कराया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

14/12/23

उप सचिव

ज्ञापांकः–15/अ0प्र0–09–07/2023 7084 पटना, दिनांक 14/12/23

ई–मेल प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को ई–मेल के माध्यम से विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु निदेशित किया जाता है।

14/12/23

उप सचिव

नीतू

उपेन्द्र कुमार,
विधि पदाधिकारी एवं प्रभारी सचिव

बिहार सूचना आयोग
चतुर्थ तल, सूचना भवन,
नेहरु पथ, पटना-800015
ईमेल-secy.bic@bihar.gov.in

संख्या-01/वि.-05/2023- 632 (बि.सू.आ.) /पटना, दिनांक- 06 दिसम्बर, 2023

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन से सम्बंधित

सेवा में,

(केवल ईमेल के माध्यम से)

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, बिहार सरकार
पुलिस महानिदेशक, बिहार
बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त
बिहार के सभी प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक
बिहार सभी जिला पदाधिकारी
बिहार के सभी पुलिस अधीक्षक
बिहार के सभी विश्विद्यालयों के कुलसचिव ।

सचिव कोषांग, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पत्र प्राप्ति 11 DEC 2023 संख्या 8532

विषय: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या-360/2021 में दिनांक-09.10.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में बिहार सरकार के सभी लोक प्राधिकारों के लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों से सम्बंधित विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की वेबप्रति [अनुलग्नक-1] संलग्न करते हुए कहना है कि याचिकाकर्त्ता, श्री किशन चंद जैन द्वारा लोकहित याचिका के रूप में दायर विषयांकित रिट याचिका की सुनवाई के पश्चात् माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश की कंडिका-24 एवं कंडिका-25 में निम्नांकित निदेश पारित किये गए हैं:

Paragraph-24: That apart, there can be no gainsaying the fact that e-filing provides round the clock access to courts, and in the process, facilitates the convenience of lawyers and litigants. We direct that all SICs must ensure that e-filing of complaints and appeals is provided in a streamlined manner to every litigant. **Steps should also be taken having regard to the provisions of Section 26 of the RTI Act to ensure that service is effected on the Public Information Officers through electronic mode. This shall also be implemented by 31 December 2023.**

Paragraph-25: All Central and State Ministries shall take steps within a period of one month from the date of this order to compile the email addresses of the Central and State Public Information Officers which shall be furnished to the CIC and to all the SICs, as the case may be.

2. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के अनुपालन में आयोग द्वारा बिहार सरकार के लोक प्राधिकारों से सम्बंधित लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की विस्तृत निर्देशिका तैयार किया जाना एक वैधिक अनिवार्यता है और इससे सम्बंधित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व मूलतः राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/कार्यालयों/लोक प्राधिकारों का है। यहाँ उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त लोकहित याचिका में अन्य पक्षकारों के अतिरिक्त बिहार सरकार एवं बिहार सूचना आयोग भी पक्षकार थे।

3. उल्लिखित तथ्यों के आलोक में अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र [अनुलग्नक-2] में अपने-अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले सभी लोक प्राधिकारों [सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-2 (*h*) में यथापरिभाषित] के लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना पंद्रह दिनों के अन्दर ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराने की कृपा की जाये।

807/SO-15 12/12/2023

4. कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनुलग्नक-यथोक्त।

नीतू जी 12/12/2023

Upendra Kumar 6.12.23
(उपेन्द्र कुमार)
विधि पदाधिकारी एवं प्रभारी सचिव

बिहार सूचना आयोग

अनुलग्नक-2

लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रपत्र

क्रमांक	विभाग/कार्यालय/लोक प्राधिकार का :- नाम एवं पिन कोड सहित पूर्ण पत्राचार पता एवं ईमेल आई.डी. [2]	लोक सूचना पदाधिकारी का :- नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर[3], पिन कोड सहित पूर्ण पत्राचार पता[4] एवं ईमेल आई.डी. [5]	सम्बंधित प्रथम अपीलीय प्राधिकार का :- नाम, पदनाम, मोबाइल नंबर [6], पिन कोड सहित पूर्ण पत्राचार पता [7]एवं ईमेल आई.डी. [8]

उपर्युक्त विहित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अनुदेश :

1. पता में अनिवार्य तौर पर सम्बंधित डाकघर एवं पिन कोड अंकित किया जाये।
2. यदि सम्बंधित लोक प्राधिकार के प्रधान को आवंटित ईमेल आई.डी. से अलग लोक प्राधिकार का कोई अन्य आधिकारिक ईमेल आई.डी. भी उपलब्ध हो तो उसे अंकित किया जाये।
3. यदि आधिकारिक सी.यू.जी. मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हो तो उसे प्राथमिकता दी जाये।
4. पता में अनिवार्य तौर पर सम्बंधित डाकघर एवं पिन कोड अंकित किया जाये।
5. यदि आधिकारिक ईमेल आई.डी. उपलब्ध हो तो उसे प्राथमिकता दी जाये।
6. यदि आधिकारिक सी.यू.जी. मोबाइल फ़ोन उपलब्ध हो तो उसे प्राथमिकता दी जाये।
7. पता में अनिवार्य तौर पर सम्बंधित डाकघर एवं पिन कोड अंकित किया जाये।
8. यदि आधिकारिक ईमेल आई.डी. उपलब्ध हो तो उसे प्राथमिकता दी जाये।
9. लोक सूचना पदाधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों का विवरण उपलब्ध कराते समय नाम अनिवार्य रूप से अंकित किया जाये ताकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-19 (3) के अंतर्गत आयोग में द्वितीय अपील वादों अथवा धारा-18 के अंतर्गत दायर शिकायत वादों के सम्बन्ध में सम्बंधित लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध आयोग द्वारा धारा-20 (1) अथवा धारा-20 (2) के तहत कार्रवाई अपेक्षित होने का विनिश्चय किये जाने पर सम्बंधित लोक सूचना पदाधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यक्तिगत नोटिस निर्गत किया जाना सम्भव हो सके।
10. किसी लोक सूचना पदाधिकारी अथवा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का उनके वर्तमान धारित पद से अन्यत्र स्थानांतरण होने पर प्रतिस्थानी पदाधिकारी के सम्बन्ध में अद्यतन सूचना अविलम्ब आयोग को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी प्रतिस्थानी पदाधिकारी की होगी।

Upendra Kumar/6.12.23
(उपेन्द्र कुमार)
विधि पदाधिकारी एवं प्रभारी सचिव